तय समय में निपटाए जाएं जीएसटी प्रतिपूर्ति के मामले : मुख्य सचिव

लखनऊ। प्रदेश में निवेशकों को सुविधाएं देने और नीति संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए राजधानी में उच्चस्तरीय बैठक हुई। इसमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) से जुड़े मुद्दों पर मंथन किया गया। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने संबंधित विभागों को लंबित जीएसटी प्रतिपूर्ति मामलों को तय समय के भीतर निपटाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि उद्योगों को मिलने वाले प्रोत्साहन और जीएसटी प्रतिपूर्ति में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य निवेशकों के लिए सहज और सुविधाजनक वातावरण बनाना है। जीएसटी मुद्दों का शीघ्र समाधान उद्योग के विश्वास को मजबूत करेगा। इस बैठक का उद्देश्य निवेशकों की लंबित जीएसटी संबंधी दिक्कतों को हल करना, राज्य के प्रोत्साहन तंत्र में स्पष्टता लाना और प्रदेश को उद्योग-अनुकूल निवेश गंतव्य के रूप में और सशक्त बनाना है। बैठक में जीएसटीएन की जटिलताओं और उनके औद्योगिक नीति पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी विचार-विमर्श किया गया। बैठक में प्रमुख उद्योग जगत के हितधारकों, अग्रणी जीएसटी विशेषज्ञों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया। वरुण बेवरेजेज, बलरामपुर चीनी मिल्स और पसवाड़ा पेपर्स लिमिटेड सहित कई प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधि भी बैठक में शामिल हुए। ब्यूरो